**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5637**
**दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद**

**†5637. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) में राज्यवार कितने चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ हैं;
(ख) क्या प्रत्येक राज्य में चिकित्सक/नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं;
(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में चिकित्सा पेशेवरों के रिक्त पदों को न भरने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) राजस्थान राज्य में प्राथमिक, सामुदायिक तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ नियुक्त हैं और कितने पद रिक्त हैं;
(ङ) देश में चिकित्सा महाविद्यालयों में सृजित पदों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार द्वारा निदेशक तथा संकाय स्टाफ के साथ-साथ रेजिडेंट डॉक्टर और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ के पदों सहित उपर्युक्त सभी पदों के लिए भर्ती नियम बनाए गए हैं;
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ज) चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए क्या पात्रता/मानदण्ड हैं और पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का ब्यौरा क्या हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): देश में राजस्थान सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) में डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों और अन्य चिकित्सा व्यावसायिकों तथा उनके रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%20202223_RE%20%281%29.pdf यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लंबे समय में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार पर्याप्त संख्या में नियमित पदों का सृजन करके और महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के लिए अल्पावधि से मध्यम अवधि में एनएचएम पदों का उपयोग करके मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया है। एनएचएम आईपीएचएस के अनुसार मध्यम और प्राथमिक परिचर्या सुविधा केन्द्रों (जिला अस्पताल और उससे नीचे) में मानव संसाधनों में अंतराल को भरकर नियमित मानव संसाधनों को संपूरित करता है।

(ङ): राज्य सरकारों के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सृजित पदों के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। केन्द्र सरकार के अधीन मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों और स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में स्वीकृत पदों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। इनमें इन कॉलेजों/संस्थानों में पदों की सभी श्रेणियां (समूह क/ख/ग) जैसे संस्था के प्रमुख, प्रशासनिक पद, संकाय पद, वरिष्ठ रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट और गैर-संकाय पद शामिल हैं।

(च) और (छ): भर्ती नियमों (आरआर) का निर्माण और संशोधन संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाने वाला आवधिक प्रशासनिक कार्य है। भर्ती नियमों में कोई भी संशोधन उभरती हुई आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इन मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में अधिकांश पदों के लिए भर्ती नियम तैयार कर लिए गए हैं।

(ज): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूजीसी विनियमन 2018 में वर्णित है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए, जिसके पास विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव या किसी प्रतिष्ठित शोध और / या अकादमिक प्रशासनिक संगठन में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार के पास पीयर रिव्यू की गई पत्रिकाओं में प्रकाशनों सहित एक प्रभावशाली शोध प्रोफ़ाइल होनी चाहिए। चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए, स्वास्थ्य विज्ञान में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के प्रबंधन में अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

****

**अनुलग्नक**

**केंद्र सरकार के तहत मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों और स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में स्वीकृत पदों की संख्या का विवरण**

| क्रमांक | मेडिकल कॉलेज/संस्थान | स्वीकृत किए गए पद | पदस्थ | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली | 14699 | 11717 | 2982 |
| 2 | प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत 22 नए एम्स | 46443 | 30688 | 15755 |
| 3 | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (पीजीआईएमईआर) | 9309 | 7240 | 2069 |
| 4 | जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुद्दूचेरी (जिपमेर) | 5748 | 4688 | 1060 |
| 5 | वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी), नई दिल्ली (सफदरजंग अस्पताल के साथ संबद्ध) | 3179 | 2703 | 476 |
| 6 | लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी), नई दिल्ली | 1565 | 1297 | 268 |
| 7 | अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एबीवीआईएमएस), नई दिल्ली (डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के साथ संबद्ध) | 1971 | 1772 | 199 |
| 8 | पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग | 1743 | 1424 | 319 |
| 9 | क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस), इम्फाल | 1933 | 1301 | 632 |
| 10 | ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली | 92 | 31 | 61 |

*****